# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

| प्रार्थनापत्र | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 42/2022 | 05.08.2022 | **14.02..2023** |

//उनवान//

1 सुब्बन खां पुत्र मदे खां जाति मेव निवासी मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

**:– प्रार्थी**

**बनाम**

1 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

**:– अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।**

**उपस्थितिः– श्री नरेश गोयल – वकील प्रार्थी**

## निर्णय

**दिनांक–14.02.2023**

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि वाके ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल आराजी ख0नं0 1764/0.56, 1765/0.31, 1766/0.01, 1767/0.19, 1768/0.24, 1769/0.19, 1770/0.26, 1771/0.09 है0 स्थित होकर मिन प्रार्थी का 1/5 हिस्सा दर्ज जमाबंदीयात है तथा मिन प्रार्थी का सही नाम सुब्बन खां पुत्र मदे खां है लेकिन राजस्व विभाग द्वारा गलती से राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थी का नाम सुब्बन खां के स्थान पर समय खां दर्ज कर दिया जो अंकन चला आ रहा है। गलत नाम के अंकन रहने से मिन प्रार्थी को अपन अधिकारों से वंचित होना पड रहा है तथा उक्त गलत नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई जांच किये ही प्रार्थी का नाम समय खां दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त गलत अंकन की जानकारी पूर्व में नहीं रही क्यों कि प्रार्थी ग्रमीण परिवेश का रहने वाला है जिसे कानून का ज्ञान नहीं है लेकिन अब किसान केडिट कार्ड बनावाने हेतु रिकार्ड की आवश्यकता हुई तो गलत नाम की जानकारी हुई। जिस हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष पेश कर रिकार्ड में नाम दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि अदालत से आदेश लेकर आओ इसलिए अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में पेश क[illegible] आया है अंकित करते हुए निवेदन रहा कि उक्त विवादित [illegible] मिन प्रार्थी का नाम गलती से समय खां पुत्र मदे खां दर्ज की हजफ कराया जाकर [illegible] स्थान पर मिन प्रार्थी का सही नाम सुब्बन खां पुत्र मदे खां का अंकन कराये ज[illegible]के आदेश फरमाये जावें का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर आदेशिका पर प्रकरण नाम दुरूस्ती का है जबाब सरकार की आवश्यकता नहीं है अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर किये ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबंदीयात , ग्रम पंचायत मातोर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 21.01.2023 जिसके मुताबिक सुब्बन खां पुत्र मदे खां जाति मेव निवासी मातोर का स्थाई निवासी है जो सही नाम है तथा इसी अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड , राशन कार्ड आदि में भी सुब्बन खां नाम अंकित है अंकित करते हुए सही नाम की अभिशंषा की है, जर्ये तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट दिनांक 07.02.23 की प्रस्तुत की जिसके मुताबिक प्रार्थी का नाम सं0 2053–56 से हाल तक नाम समय खां पुत्र मदे खां चला आ रहा है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में सुब्बन खां पुत्र मदे खां है अंकित करते हुए नाम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है , आधार कार्ड, राशन कार्ड , पैन कार्ड एवं बैंक पास बुक की छायाप्रतियां पेश की हैं जो शामिल पत्रावली हैं एवं उक्त समस्त दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम सुब्बन खां पुत्र मदे खां अंकित है।

प्रार्थना पत्र के बाबत वकील प्रार्थी को सुना गया । दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिमनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी का सही नाम सुब्बन खां पुत्र मदे खां है। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड , पैन कार्ड , बैंक पास बुक , राशन कार्ड , पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट हल्का पटवारी के द्वारा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकोर्ड में गलत नाम समय खां को हजफ किया जाकर सही नाम सुब्बन खां पुत्र मदे खां दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र बाबत ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के हाल आराजी खसरा नम्बरान 1764/0.56, 1765/0.31, 1766/0.01, 1767/0.19, 1768/0.24, 1769/0.19, 1770/0.26, [illegible] हे0 वाके ग्रम मातोर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत प्रार्थी [illegible] खां के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उसके स्थान पर सुब्बन खां पुत्र मदे खां नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:16 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक **14.02.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

**(पंकज बडगूजर)**
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी**
**मुण्डावर अलवर, राज0**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:16 IST
Reason: SelfAttested